eLibrary
an information gateway to Jharkhand
Newspaper Clippings

Government of Jharkhand
Information & Public Relations Department

Publication: Prabhat Khabar
Category: Home, Jail & Management Department
Page No: 1 Date: 12/01/2018
Trend: Negative Press Release: NONE

खुलासा. सीआइडी से तबादले का विरोध करते हुए एडीजी एमवी राव ने गृह सचिव को लिखा पत्र

डीजीपी डीके पांडेय ने बकोरिया मुठभेड़ की जांच धीमी करने का डाला था दबाव

विवेक चंद्र ▷ रांची

डीजीपी डीके पांडेय के आदेश पर बकोरिया कांड की जांच धीमी नहीं करने के कारण सीआइडी के एडीजी पद से एमवी राव का तबादला कर दिया गया था. उनके अलावा जिन दूसरे अधिकारियों ने भी बकोरिया कांड में दर्ज प्राथमिकी पर मतभेद जताया, उनका तबादला कर दिया गया. एडीजी एमवी राव ने अपने तबादले के विरोध में गृह सचिव को एक पत्र लिखा है. पत्र में इन तथ्यों का भी उल्लेख किया है. पत्र की प्रतिलिपि झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी गयी है.

पत्र में एमवी राव ने लिखा है कि बकोरिया कांड में डीजीपी ने जांच धीमी करने का निर्देश दिया था. डीजीपी ने कहा था कि न्यायालय के किसी आदेश से चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है. श्री राव ने लिखा है कि उन्होंने डीजीपी के इस आदेश का विरोध करते हुए जांच की गति सुस्त करने, साक्ष्यों को मिटाने और फर्जी साक्ष्य बनाने से इनकार कर दिया, जिसके तुरंत बाद उनका तबादला सीआइडी से नयी दिल्ली स्थित ओएसडी कैंप में कर दिया गया, जबकि यह पद स्वीकृत भी नहीं है. अब तक किसी भी अफसर को बिना उसकी सहमति के इस पद पर पदस्थापित नहीं किया गया है. पत्र में यह भी कहा गया है कि बकोरिया कांड की जांच सही दिशा में ले जानेवाले और दर्ज एफआइआर से मतभेद रखने का साहस करनेवाले अफसरों का पहले भी तबादला किया गया है. यह एक बड़े अपराध को दबाने और अपराध में शामिल अफसरों को बचाने की साजिश है.

एडीजी श्री राव ने अपने पत्र में लिखा है कि सीआइडी में 150 से अधिक मामले जांच के लिये लंबित हैं. ● बाकी पेज 19 पर

यह भी कहा गया, कोर्ट के आदेश से चिंतित होने की जरूरत नहीं

पत्र में खास

- मैंने जांच की गति सुस्त करने, साक्ष्यों को मिटाने और फर्जी साक्ष्य बनाने से इनकार कर दिया
- इस मामले में जांच सही दिशा में ले जानेवाले अफसर पहले भी बदले गये हैं
- यह बड़े अपराध को दबाने और संलिप्त अफसरों को बचाने की साजिश है

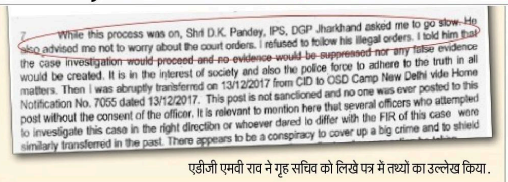
While this process was on, Shri D.K. Pandey, IPS, DGP Jharkhand asked me to go slow. He also advised me not to worry about the court orders. I refused to follow his illegal orders. I told him that the case investigation would proceed and no evidence would be suppressed nor any false evidence would be created. It is in the interest of society and also the police force to adhere to the truth in all matters. Then I was abruptly transferred on 13/12/2017 from CID to OSD Camp New Delhi vide Home Notification No. 7055 dated 13/12/2017. This post is not sanctioned and no one was ever posted to this post without the consent of the officer. It is relevant to mention here that several officers who attempted to investigate this case in the right direction or whoever dared to differ with the FIR of this case were similarly transferred in the past. There appears to be a conspiracy to cover up a big crime and to shield

एडीजी एमवी राव ने गृह सचिव को लिखे पत्र में तथ्यों का उल्लेख किया.

ढाई साल में बदले गये हैं आधा दर्जन अफसर

कोर्ट के आदेश पर बकोरिया कांड की जांच में तेजी लानेवाले सीआइडी के एडीजी एमवी राव का तबादला एक ही महीने में कर दिया गया था. श्री राव 13 नवंबर 2017 एडीजी, सीआइडी के रूप में पदस्थापित किये गये थे. फिर 13 दिसंबर को सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया. इससे पहले कथित मुठभेड़ के तुरंत बाद भी कई अफसरों के तबादले कर दिये गये थे. सीआइडी के तत्कालीन एडीजी रेजी डुंगडुंग व पलामू के तत्कालीन डीआइजी हेमंत टोप्पो का तबादला किया गया. उनके बाद सीआइडी एडीजी बने अजय भटनागर व अजय कुमार सिंह के कार्यकाल में मामले की जांच सुस्त हो गयी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर टिप्पणी की थी. मामले में रुचि लेने की वजह से रांची जोन की तत्कालीन आइजी सुमन गुप्ता का भी अचानक तबादला कर दिया गया था. पलामू सदर थाना के तत्कालीन प्रभारी हरीश पाठक को पुराने मामले में निलंबित कर दिया गया था.

बकोरिया कांड के मुख्य बिंदु

- आठ जून, 2015 को पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में कुल 12 लोग मारे गये थे. उनमें से एक डॉ आरके उर्फ अनुराग के नक्सली होने का रिकॉर्ड पुलिस के पास उपलब्ध था.
- घटना के ढाई साल बीतने के बाद भी मामले की जांच कर रही सीआइडी ने न तो तथ्यों की जांच की, न ही मृतक के परिजनों और घटना के समय पदस्थापित पुलिस अफसरों का बयान दर्ज किया.
- पलामू सदर थाना के तत्कालीन प्रभारी हरीश पाठक ने बयान दिया है कि पलामू के एसपी ने उन्हें घटना का वादी बनने के लिए कहा. इनकार करने पर सस्पेंड करने की धमकी दी.
- हरीश पाठक ने अपने बयान में यह भी कहा है कि पोस्टमार्टम हाउस में चौकीदार ने तौलिया में खून लगाया और कथित मुठभेड़ के बाद मिले हथियारों की मरम्मत डीएसपी कार्यालय में की गयी. यही कारण है कि घटना के 25 दिन बाद जब्त हथियार को कोर्ट में पेश किया गया. ● पेज 19 भी देखें

बेटा, भतीजा संग मारा गया माओवादी अनुराग

आठ जून, 2015 को हुई थी मुठभेड़.

Software By
LOTUS COMM
Solution Partner

Services by
India Report Card
Media Pvt. Ltd.